संख्या- 19/2020/392/71-3-2020-एन0एम0-16/2019

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 27 मार्च, 2020**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय मेडिकल कालेज, पीलीभीत के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र सहायतित योजना "इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल" (फेज-3) के अन्तर्गत जनपद-पीलीभीत के जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज, पीलीभीत बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्नगत योजना का फण्डिंग पैटर्न 60:40 है।

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, पीलीभीत के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.03.2020 में अनुमोदित लागत रू0 245.8922 करोड़ (रू0 दो अरब पैंतालिस करोड़ नवासी लाख बाईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष **रू0 20.00 करोड़ (रू0 बीस करोड़ मात्र)** की धनराशि निर्धारित फण्डिंग पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश व राज्यांश के रूप में अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-19/2019-बी-2-615/दस-2019, दिनांक 13-12-2019 द्वारा प्रदेश में 50 करोड़ रू0 से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित करके ई0पी0सी0 मोड में कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त शासनादेश की व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि आहरित कर लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य अनुमोदित लागत एवं निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय तथा भविष्य में कोई भी मूल्यवृद्धि/पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
4. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/कार्यदायी संस्था की होगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2019 एवं 13-12-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाएगा।
8. प्रायोजना के सापेक्ष अवमुक्त की जा रही धनराशि में फण्डिंग पैटर्न (60:40) के अनुसार केन्द्रांश की धनराशि का निर्धारण किया जायेगा। यदि फण्डिंग पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश की धनराशि कम प्राप्त हुई है तो प्राप्त केन्द्रांश को अवमुक्त की जा रही धनराशि रू0 20.00 करोड़ में सम्मिलित मानते हुए शेष धनराशि को राज्यांश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के रूप में समझा जायेगा तथा इसे निर्धारित फण्डिंग पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश प्राप्त होने पर समायोजित किया जायेगा।

9. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक, चि0शि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
11. निष्प्रोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना महानिदेशक, चि0शि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. महानिदेशक, चि0शि0/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व भूमि के निर्विवाद होने के सम्बन्ध में पुष्टि करा ली जायेगी।
13. प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
14. कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
15. मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य एम0सी0आई0 मानक एवं ले आउट प्लान के अनुरूप कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिदेशक/कार्यदायी संस्था का होगा।
16. प्रायोजना का क्रियान्वयन ई0पी0सी0 मोड पर किया जाना है।अत: प्रायोजना में प्रस्तावित मेडिकल उपकरण, फर्नीचर एवं किचन उपकरण आदि हेतु क्रमश: प्रस्तावित रू0 2300.00 लाख, रू0 700.00 लाख एवं रू0 68.14 लाख अर्थात् कुल 3068.14 लाख को अनुमन्य नहीं किया गया है। इस कार्य हेतु पृथक से प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।
17. प्रायोजना अंतर्गत पेड़ों की कटाई हेतु आगणन के अभाव में समिति द्वारा रू0 2.00 लाख एकमुश्त लागत अनुमन्य की गयी है। अत: वन विभाग से विस्तृत लागत का विवरण निर्माण से पूर्व प्राप्त किया जाए।
18. प्रायोजना अंतर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु रू0 381.20 लाख एकमुश्त लागत अनुमन्य किया गया है। भूमि को क्रय वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. प्रायोजनान्तर्गत आन्तरिक रोड एवं पाथवे, सीवर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, स्ट्रार्म वाटर ड्रेन, हार्टीकल्चर एवं साइन बोर्ड आदि हेतु प्रति वर्ग मीटर वेटेड इंडेक्स रेट के आधार पर लागत प्रस्तावित की गयी है। वाह्य स्थल विकास कार्यों हेतु स्थल की आवश्यकता के अनुसार वास्तविक आगणन का गठन करते हुए प्रायोजना का क्रियान्वयन किया जाए।
20. प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 350.00 लाख एवं वर्तमान अस्तपाल में इलेक्ट्रिकल लोड की क्षमता हेतु रू0 80.00 लाख एकमुश्त आधार पर अनुमन्य किया गया है। निर्माण कार्य से पूर्व यू0पी0सी0एल0 से विस्तृत आगणन प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
21. प्रायोजना प्रस्ताव में सबस्टेशन उपकरण, डी0जी0सेट, एयरकन्डीशनिंग सिस्टम, एस0टी0पी0, मेडिकल गैस पाइप लाइन, लिफ्ट, माडुलर ओ0टी0, माइनर ओ0टी0, सी0एस0एस0डी0 उपकरण, लाण्ड्री उपकरण, किचेन उपकरण, इन्सीनेटर, कम्प्यूटर नेटवर्किंग, इ0पी0बी0एक्स की लागत डी0एस0आर0/बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। महानिदेशक/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वितीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए।
22. प्रायोजनान्तर्गत अण्डर ग्राउण्ड टैंक, आन्तरिक रोड एवं पाथवे, सीवर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, स्ट्रार्म वाटर ड्रेन, हार्टीकल्चर एवं साइन बोर्ड की लागत सी0पी0डब्ल्यू0डी0 प्लिंथ एरिया रेट के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। अत: निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व उक्त का विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाए तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाए।
23. आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

24. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिदेशक/कार्यदायी संस्था का होगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0118-मेडिकल कालेज पीलीभीत (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-418/दस-2020, दिनॉक 27 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-19/2020/392(1)/71-3-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता, विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग।
5. मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, पीलीभीत।
9. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल, पीलीभीत।
11. नियोजन-अनुभाग-4
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।